भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2589

16 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

कचरा प्रबंधन

2589. श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री धनुष एम. कुमारः

श्री जी. सेल्वमः

श्री सी.एन. अन्नादुरईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में कचरा, अपशिष्ट और सीवेज का प्रबंधन एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार कचरा और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार, शहर-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति का आकलन किया है/आकलन करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): स्वच्छता राज्य का विषय है।कचरा, अपशिष्ट और सीवेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु, भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) और 25 जून, 2015 को 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है।

प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थायी स्वच्छता और प्रयुक्त जल के शोधन के लिए एक नए घटक अर्थात प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) के विज़न के साथ 1 अक्टूबर, 2026 को पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 शुरू किया गया है।

अमृत मिशन का उद्देश्य सीवरेज कवरेज और सेप्टेज प्रबंधन में सुधार करना और एक लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), सभी राजधानी शहरों, सभी विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (एचआरआईडीएवाई) शहरों, मुख्य नदियों के किनारों के चिह्नित शहरों, पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना था। दूसरा चरण अर्थात अमृत 2.0, 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है, ताकि 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान कराने में हुई प्रगति को आगे बढ़ाया जा सके।

(ग) और (घ): एसबीएम-यू 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन संयंत्रों जैसे अपशिष्ट-से-खाद (डब्ल्यूटीसी), अपशिष्ट-से-ऊर्जा (डब्ल्यूटीई), जैव-मिथेनेशन, सामग्री वसूली सुविधाएं (एमआरएफ) और पुरानी अपशिष्ट डंपसाइट सुधार आदि की स्थापना के लिए केंद्रीय अंश (सीएस) सहायता दी जाती है। इसके अलावा, यूडब्ल्यूएम घटक के तहत (i) सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) / एसटीपी-सह-एफएसटीपी की स्थापना; (ii) एसटीपी तक पंपिंग स्टेशन और पंपिंग मेन /ग्रेविटी मेन उपलब्ध कराने के साथ-साथ इंटरसेप्शन और डायवर्जन संरचना का निर्माण करने; (iii) पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग उपकरणों को खरीदने के लिए केंद्रीय अंश निधियां दी जाती हैं।

एसबीएम-यू के तहत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए 14,623 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 62,009 करोड़ रु. है। एसबीएमयू 2.0 के तहत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए 36,465 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपए है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत केंद्रीय अंश निधियां उन राज्यों को जारी की जाती हैं, जो कार्य योजना में शामिल संबंधित यूएलबी को राज्य अंश के साथ निधियां आगे संवितरित करते हैं। इस प्रकार के शहर-वार विवरण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। एसबीएम-यू और एसबीएम (यू) 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा और तमिलनाडु राज्य को जारी केंद्रीय अंश निधियों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

अमृत के तहत, मौजूदा सीवरेज प्रणालियों का संवर्धन, मौजूदा एसटीपी की पुनर्स्थापना, और नए एसटीपी का निर्माण कार्य सहित नेटवर्क्ड भूमिगत सीवरेज प्रणालियां; स्वीकार्य घटक हैं। संपूर्ण मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 77,640 करोड़ रुपए है। इसमें से 32,456 करोड़ रुपए (कुल परिव्यय का 42%) सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र की

परियोजनाओं को आवंटित किए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए 76,760 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है। इसमें से, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये (केंद्रीय सहायता का 87%) आवंटित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अमृत और अमृत 2.0 के तहत ओडिशा और तमिलनाडु राज्य को जारी की गई केंद्रीय अंश निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

राज्यों/यूएलबी को तकनीकी सहायता देने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नियमावली प्रकाशित की है और सीवेज और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को चुनने के लिए विभिन्न परामर्शिकाएं और दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

अमृत 2.0 परिचालन दिशा-निर्देशों में जल क्षेत्र में प्रमाणित और संभावित वैश्विक प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन शुरू करने का प्रावधान है। मंत्रालय नियमित वीडियो सम्मेलन/वेबिनार/कार्यशालाओं/कार्यस्थल का दौरा आदि के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक निगरानी और समीक्षा करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण (सीबी) और तकनीकी सहायता प्रदान करके हर संभव सहायता प्रदान करता है। मिशन निदेशालय मुद्दों को हल करने और परियोजनाओं को समय से पूरा करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर राज्यों और यूएलबी को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करता है, ताकि इसके परिणामस्वरूप राज्यों/यूएलबी का क्षमता निर्माण हुआ है और इस प्रकार अमृत योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

(ड.) और (च): एसबीएम-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कचरे आदि के प्रबंधन में की गई प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, जिसके लिए यूएलबी के प्रमाणन के लिए खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ), ओडीएफ +, ओडीएफ ++ और कचरामुक्त शहरों (जीएफसी) की स्टार रेटिंग और 'स्वच्छ सर्वेक्षण' के माध्यम से मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) विकसित किए गए हैं। वीडियो सम्मेलन, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि और विशिष्ट एसबीएम-यू और अमृत पोर्टलों के माध्यम से आवधिक समीक्षा और आकलन करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसबीएम-यू और अमृत की प्रगति की निगरानी की जाती है। अमृत के तहत क्षेत्र स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन का मूल्यांकन प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) द्वारा किया जाता है।

****

"अपशिष्ट प्रबंधन" के संबंध में 16.03.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2589 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

एसबीएम - यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई केंद्रीय अंश निधियों का विवरण							
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जारी की गई निधि (करोड़ रु. में)					
		2018-19 तक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1.	ओडिशा	145.84	100.45	22.12	185.13	0.00	453.54
2.	तमिलनाडु	864.93	236.19	21.08	224.91	384.66	1731.77

अमृत और अमृत 2.0 के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय अंश निधियों का विवरण							
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जारी की गई निधि (करोड़ रु. में)					
		2018-19 तक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1.	ओडिशा	472.40	312.83	0.00	127.47	4.67	917.37
2.	तमिलनाडु	1686.74	377.16	278.84	1454.55	398.13	4195.42

*****